राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

	रघुनाथ बनाम भूरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	356/2010	
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3/1 से 3/4 एवं 4/1 से 4/4 ने लिखित बहस पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
03/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम बलेखण, तहसील चौमू के वादीगण काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा काश्तकार प्राकृतिक उपज का उपयोग-उपभोग उठाते चले आ रहे है एवं लगान सरकार को अदा करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है हो वादीगण के उक्त कब्जे काश्त की भूमि पर बल प्रयोग कर नाजायज रूप से हथियाना चाहते है जिनका विवादित भूमि से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है केवल मात्र वादीगण ही विवादित आराजी के टीनेंट है तथा काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी के पूर्व व पश्चिम तथा उत्तर व दक्षिण की आराजी से विवादित आराजी लगभग एक हाथ उची है एवं उत्तर की और वादीगण की अन्य कृषि भूमि है। वादीगण ने काफी रुपया खर्च कर उक्त आराजी को समतल बनाई है। वादीगण अपनी उक्त आराजी में बोरिग करवाने की पूर्ण तैयारी में है। वादीगण दिनांक 07/10/1986 को बोरिंग के लिये स्थान निश्चित कर रहे थे तब प्रतिवादीगण झगड़ा फिसाद करने पर आमदा हो गये और कहाँ कि बोरिंग नही करने देंगे। प्रतिवादीगण हमेश झगड़ा-फसाद करते है जबकि उनका विवादित भूमि से कोई लेना-देना नही है। यदि उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को असहाय क्षति होगी तथा अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित रह जायेंगे। अत: वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में एवं दीगर प्रत्येक उपयोग-उपभोग में एवं बोरिंग कराने में स्वयं अपने परिजन अथवा अन्य किसी एजेन्सीस किसी प्रकार की कोई मजाहमत न करे न उसमे प्रवेश करे। अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रघुनाथ बनाम भूरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आज्ञा जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
356/2010		

अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम आदेश 08 नियम 06 दुरुस्तकरार हक़, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किये जाने पर तनकीयात कायम की गयी एवं तनकीवार निर्णय पारित करते हुए निर्णय दिनांक 23/07/2010 को वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया एवं ग्राम बलेखण , तहसील चौमू, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 152 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवाद के वादी संख्या 1 ता. 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करते वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2010 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि का वादीगण/अपीलार्थीगण को रिकार्डेड खातेदार प्रमाणित होना धारित करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण/रेस्पो. का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना मानते हुये वादीगण/रेस्पो. का प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम) एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वीकार किये जाने से विधिक त्रुटी कारित की गयी है | विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धान्तों के द्वारा एडवर्स पजेशन की अवधारणा को विधिसम्मत नही होना पारित किया गया है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2010 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिक प्रावधानों के अनुसरण में विधिसम्मत निर्णय व् डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर